

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प ..... गिरधारी लाल डूरा

163/2024

आदेश

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र पटवारी हल्का ..... देव किशन डूरा  
व भूअ.नि. वृत्त ..... की रिपोर्ट तथा तहसीलदार ..... / नायब  
तहसीलदार ..... की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम  
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम ..... तहसील ..... व जिला .....  
की जमाबंदी सम्वत् 2025-28 में खाता संख्या B7, BB  
में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व  
रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि अशुद्ध प्रविष्टि	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	कृजनाथपुरा	B7, BB,	गोविन्दा डूरा धीन्दा मि. चंदलाई	गोविन्दा डूरा नानदीलाल डूरा धीन्दा चंदलाई

क्रमांक:- राजस्व/2-21/2811  
प्रतिलिपि:-

शिलोक अदालत  
उपखण्ड अधिकारी  
चाकसू (जयपुर)  
दि 17.11.24

1. तहसीलदार, तहसील ..... को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री ..... को सूचित।
3. रक्षित पत्रावली।

शिलोक अदालत  
उपखण्ड अधिकारी  
चाकसू (जयपुर)